भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 37
बुधवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य</u>

*37. श्रीमती सुप्रिया सुलेः
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एमजीएमबीवाई) को मंजूरी दे दी है और यदि हां, तो उसके लक्ष्य और उद्देश्यों सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पीएम-एसजीएमबीवाई के तहत कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं कि पीएम-एसजीएमबीवाई का लाभ समाज के हाशिए पर रहने वाले और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक पहुंचे;

(घ) महाराष्ट्र राज्य में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना से कितने परिवारों को लाभ मिलने का अनुमान है;

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि पीएम-एसजीएमबीवाई के तहत स्थापित किए जाने वाले सौर पैनल टिकाऊ हैं और इनके परिचालन की जीवन अवधि लम्बी है;

(च) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान पीएम-एसजीएमबीवाई के तहत आवंटित कुल वित्तीय परिव्यय कितना है तथा इस योजना के तहत कितने प्रतिशत धनराशि का उपयोग सौर पैनल की स्थापना सहित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा; और

(छ) सरकार की पीएम-एसजीएमबीवाई की प्रगति और प्रभाव की निगरानी किस प्रकार करने की योजना है?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, केन्द्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (छ): एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

<u>विवरण</u>

'पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य' के संबंध में पूछे गए दिनांक 27.11.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 37 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): सरकार ने फरवरी, 2024 में पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना अनुमोदित की है, जिससे सौर रूफटॉप क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाई जा सके और आवासीय घरों को अपनी बिजली पैदा करने में सशक्त बनाया जा सके। इस योजना का परिव्यय 75,021 करोड़ रुपये है और इसे वित्त वर्ष 2026-27 तक कार्यान्वित किया जाना है। योजना के प्रमुख लक्ष्य तथा उद्देश्य हैं:

- आवासीय क्षेत्र में 1 करोड़ रूफटॉप सौर (आरटीएस) स्थापना हासिल करना।
- आरटीएस की स्थापना द्वारा 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त/कम लागत वाली बिजली उपलब्ध कराने में सहायता करना।
- योजना के तहत स्थापित सौर क्षमता के माध्यम से 1 लाख करोड़ यूनिट की अक्षय विद्युत का उत्पादन करना, जिसके परिणामस्वरूप आरटीएस परियोजनाओं के 25 वर्षों के जीवनकाल के दौरान 72 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी।
- देश में विनियामक सहयोग, विनिर्माण सुविधाएं, आपूर्ति श्रृंखला, वेंडर नेटवर्क, प्रचालन एवं रखरखाव सुविधाएं इत्यादि सहित आरटीएस परियोजनाओं के लिए आवश्यक सशक्त पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।
- बढ़ी हुई ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।
- वर्ष 2026-27 तक आरटीएस के माध्यम से 30 गीगावाट सौर क्षमता की स्थापना द्वारा यूएनएफसीसीसी में अपने एनडीसी (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान) के माध्यम से हरित जलवायु के लिए भारत की प्रतिबद्धता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करना।

(ग) समाज के सीमांत तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक पीएम-एसजीएमबीवाई का लाभ सुनिश्चित करने के लिए, 1 किलोवाट और 2 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सौर संयंत्रों के लिए बेंचमार्क लागत के 60 प्रतिशत के बराबर अधिक केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जा रही है।

(घ) महाराष्ट्र राज्य का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में कुल 1.6 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे।

(ङ) मंत्रालय ने देश में सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना में उपयोग किए जा रहे उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किया है। इसके अतिरिक्त, योजना के अंतर्गत रूफटॉप सौर संयंत्रों की स्थापना में उपयोग किए जा रहे सौर उपकरणों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने सौर मॉड्यूलों, इनवर्टरों और संयंत्र के अन्य उपकरणों के लिए विस्तृत विनिर्देश निर्धारित किए हैं। उपयोग किए जाने वाले सौर मॉड्यूलों को स्वदेशी रूप से निर्मित सौर सेलों का उपयोग करते हुए देश में अनिवार्य रूप से विनिर्मित किया जाना है। इसके अलावा, मंत्रालय ने मॉड्यूलों और विनिर्माताओं की अनुमोदित सूची (एएलएमएम) तैयार की है और केवल एएलएमएम के तहत अनुमोदित सौर मॉड्यूलों की खरीद करना अनिवार्य है। जहाँ तक स्थापना की गुणवत्ता का सवाल है, मंत्रालय ने

आरटीएस की स्थापना के लिए गुणवत्ता मैनुअल और श्रेष्ठ प्रथाएं जारी की हैं और यह अनिवार्य किया गया है कि वेंडरों के पास तकनीकी रूप से सक्षम जनबल (मैनपावर) होना चाहिए और वेंडर द्वारा स्थापित आरटीएस संयंत्र के चालू होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए अनिवार्य रूप से रखरखाव किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत कुल स्थापनाओं में से किन्हीं 1 प्रतिशत स्थापनाओं का आकस्मिक निरीक्षण करने का प्रावधान है।

(च) इस योजना के लिए वर्ष 2024-25 के दौरान संशोधित अनुमान चरण में 9600 करोड़ रु. के वित्तीय परिव्यय का आवंटन किया गया है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से योजना के तहत सौर पैनल स्थापित करने वाले उपभोक्ताओं को सीएफए प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

(छ) पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत, विभिन्न स्तरों पर योजना की निगरानी का प्रावधान है। योजना के कार्यान्वयन फ्रेमवर्क में योजना के लिए समग्र रूप से निर्देश एवं समन्वय करने के लिए मंत्रियों के समूह का गठन, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति, राज्य के मुख्य सचिव/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक के सलाहकार की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति और जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति शामिल है। इसके अतिरिक्त, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में मिशन निदेशालय योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है और राष्ट्रीय स्तर पर आरईसी लिमिटेड राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते तथा विद्युत वितरण कंपनियाँ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य कार्यान्वयन एजेंसियाँ होने के नाते मिशन निदेशालय के निर्देशों के तहत कार्य करती हैं।

*****